

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

लासुराम

कृष्ण कुमार उर्फ किसनाराम

दावा बाबत :- 88RTACT

मुकदमा नम्बर :- 243/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील राजेश्वर सिद्धा की व प्रतिवादी सं० 1 लासुराम की ओर से वकील राजेश्वर सिद्धा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री मोहन कणाड के खाता सं० 348/329 के खास सं० 358 की पंजी 780 है लुबि मुफि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा व शरी कणाड के खाता सं० 2/2 के खास सं० 45 318, 321, 406 कुल 25-3430 है वारनी लुबि मुफि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्य राजस्य रिकार्ड में भूज है व से अकेले प्रतिवादी सं० 1 के बजाए वादी की लुराम को दे दिख्सा, व प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण कुमार उर्फ किसनाराम को दे दिख्सा व प्रतिवादी सं० 2 संदीप कुमार को दे दिख्सा व प्रतिवादी सं० 3 दिनेश प्रतिवादी सं० 4 अमिल कुमार व प्रतिवादी सं० 5 सावित्री को संयुक्त रूप से दे दिख्सा के खाते शर का 2 लुराम वीमिता किसे जमे है अकेले प्रतिवादी सं० 6 व 7 ने अपना समुण्ड हक व दिख्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ला 5 के पुस्त में ल्याज कर अग्र्य कर लिया है इसलिए ल्याज किसे जमे दिख्सा पर पेजीमन विमाडा को पेजीमन अग्र्य करे व यदि रख हो तो खनुमुक धेव के अग्र्यता से अग्र्य रिकार्ड में अग्र्य लुराम किसे जमे जावे लुराम को डिक्री को गति पत्र पावे खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़